Form No. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

फतहसिंह बनाम **लोक सूचना अधिकारी**

किस्म मुकदमा **अपील (सूचना का अधिकार)** नं0 **113** सन् **2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.12.2021	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्राप्त हुई है। अपीलार्थी फतहसिंह पिता मौडसिंह जाति राजपूत निवासी सेमलिया हाल झरनों की सराय, जैन उपासरे के पास, देबारी उदयपुर(राज.) मोबाईल 9001112198 ने यह अपील प्रार्थना पत्र दिनांक 24.12.2021 अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, डूंगला को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.09.2021 के संदर्भ में प्रस्तुत की गयी। हमने अपील मेमों का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी डूंगला को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.09.2021 के संबंध में न्यायालय हाजा में पूर्व में प्रथम अपील प्रस्तुत की जा चुकी है। जिसके प्रकरण संख्या 112/2021 होकर निर्णय दिनांक 22.12.2021 से निस्तारित की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 23.09.2021 के संबंध में प्रथम अपील प्रस्तुत की जा चुकी है एवं जिसका निस्तारण हो चुका है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रार्थना पत्र दिनांक 24.12.2021 का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी दर्ज के स्तर पर ही खारीज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क जरिय रजिस्टर्ड डाक के प्रेषित की जावे। **–SD–** (तारा चन्द मीणा) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.) **29.12.2021** सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	